14

(5)

खसरा नं.	पत्थर नं.	मु.नं.	किला नम्बर
22 एचएमएच.	112/294	82	4, 7, 14,17, 24 प्रत्येक में .198 हैक्ट. कुल 0.990 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 0.253 हैक्टेयर कुल 1.265 है. मय गैर मुमकिन रास्ता

के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार खाता तकसीम किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करे। इसके अलावा इस भूमि बाबत भविष्य में कोई बकाया होगा तो उसकी भरपाई की जुम्मेवारी उन पक्षकार की होगी जिनके पक्ष में भूमि आई है । पक्षकार भविष्य में रास्ता खाळा का कोई विवाद नहीं करेंगे। भविष्य में किसी अन्य से रास्ता खाळा नहीं मांगेंगे। अगर किसी अन्य रास्ता खाळा की जरूरत पड़ती है तो आपसी समझौते से उसे रास्ता, खाळा उपलब्ध करवाऐंगे। किसी अन्य से रास्ता, खाळा की मांग नहीं करेंगे।

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बिरानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना - अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे पत्रावली निर्णय शूमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 06/09/21 को मेरे द्वारा लिखाया गया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़।

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

मिलान किया

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Avi Garg
Date: 2022.02.25 16:45:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner